न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
568/2016/प्रार्थना पत्र	05.12.2016	23.02.2018

उनवान

1–4 लादूलाल, बजरंगलाल, मदनलाल, रामकरण पिता रामदयाल ब्राम्हण निवासी रतनपुरा तहसील फूलियाकलां

—— प्रार्थीगण

बनाम

1– हीरा पिता मोड़ा बलाई निवासी रतनपुरा तह0 फूलियाकलां
2–4 गोपाल,गणपत,सांवरा पिता बरदा बलाई नि0 रतनपुरा तह0 फूलियाकलां
5– कमलेश पिता गोपाल बलाई नि0 रतनपुरा तह0 फूलियाकलां
6– सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 भीलवाड़ा
7– शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कादेड़ा
8– तहसीलदार, फूलियाकलां

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट

उपस्थित :– श्री गोविन्दसिंह हाड़ा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212रा0टि0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, प्रार्थीगण रतनपुरा के निवासी होकर एक ही पिता स्व0 रामदयाल की संतान है। रामदयाल का स्वर्गवास संवत 2025 मे हो गया है। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 लगायत 4 ग्राम रतनपुरा के निवासी है जो एक ही परिवार के होकर आपस मे काका–भतीजा है। विपक्षी 5 विपक्षी 2 का पुत्र है विपक्षी 2 से 4 के पिता बरदाजी थे जिनका स्वर्गवास करीबन 15 वर्ष पूर्व हो गया ग्राम रतनपुरा मे साबिक आराजी नम्बर 162 रकबा 04 बिस्वा, 163 रकबा 01 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 के पिताजी एवं 2 से 4 के दादाजी एवं विपक्षी संख्या 5 के परदादा मोड़ा पिता देवा बलाई के खातेदारी अधिकार मे स्थित थी। साबिक नम्बरान के नये नम्बर क्रमशः 471 रकबा 0.01 है0, 472 रकबा 0.05 है0

कायम हुये। उक्त दोनो ही साबिक नम्बर तत्कालीन खातेदार विपक्षी संख्या 1 के पिता एवं विपक्षी सं0 2 से 4 के दादा स्व0 मोड़ा पिता देवा बलाई ने सप्रतिफल 60 रूपये मे समस्त हक हकूक सहित प्रार्थीगण के पिता रामदयाल पिता रामनाथ ब्राम्हण को दिनांक 07.05.1957 को विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपुर्द कर दिया विक्रय पत्र भी निष्पादित किया गया। वर्तमान मे प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला रहा है। मोड़ा की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान का कभी कब्जा नही रहा है। प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश एवं अनपढ़ होने से कानून की अज्ञानता के कारण नामान्तरकरण की कार्यवाही नही करा पाये। राजस्व रेकार्ड मे मोड़ा जी की मृत्यु के बाद खाता उनके वारिसान के नाम खुल गया लेकिन कब्जा काश्त प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है। दिनांक 07.11.2016 को विपक्षी 1 से 5 ने नाजायज एवं अवैध तौर पर जबरन कब्जा करने की गरज से आनन फानन मे रात्रि मे प्रार्थीगण द्वारा बोई गई सरसों व सरसड़ा की फसल को ट्रेक्टर से हांक दी जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। विक्रय दिनांक 07.05.1957 को विपक्षीगण के पूर्वज मोड़ा जी से कृषि भूमि खरीद किये जाने मे कोई कानूनी बाधा नही थी क्योकि धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे संशोधन वर्ष 1964 मे हुआ है। प्रार्थीगण वर्षो से काबिज होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण उनके पक्ष मे है। सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। यदि दौराने वाद मौके पर वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर दिया गया तो विपक्षीगण के मुकाबले प्रार्थीगण को अत्यधिक अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र ता–फैसला वाद स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजीयात पर कायम प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे विपक्षीगण किसी भी प्रकार से बाधा व व्यवधान उत्पन्न नही करे और प्रार्थीगण को जबरन बेदखल न तो स्वयं करे व न अन्य किसी से करावे। वादग्रस्त आराजीयात को किसी को रहन, बय, विक्रय अथवा अन्य किसी भी प्रकार से अन्तरित नही करे। तथा राजस्व एवं मौके की यथास्थिति कायम रखी जाने हेतु विपक्षीगण को पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 13.01.2017 को विपक्षी 1 लगायत 5 की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश पाराशर उपस्थित हुये। दिनांक 09.11.2017 को प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री गोविन्दसिंह हाड़ा उपस्थित हुये। दिनांक 09.02.2018 को अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित नही होने से उनका जवाब बन्द किया जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण एक तरफर सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित

तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं प्रकरण का भंलीभांति अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा वादग्रस्त आराजी काश्तकारी कानून लागू होने से पूर्व क्रय की गई है किन्तु राजस्व रेकार्ड अनुसार खातेदार विपक्षीगण है। तथा वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा भी प्रार्थीगण का होना बताया गया है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण का बनता है। यदि प्रार्थीगण को मोके से बेदखल कर दिया गया तो अपूर्तनीय क्षति होगी। दोनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे होने से सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे बनता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टि0एक्ट ता फैसला वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण नं0 1 लगायत 5 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम रतनपुरा प0म0 तसवारिया बांसा तहसील फूलियाकलां की हाल आ0न0 471 रकबा 0.01 है0 व आ0न0 472 रकबा 0.05 है0 की मूल वाद के निस्तारण तक रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद के साथ संलग्न हो।

आदेश आज दिनांक 23.02.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां,जिला–भीलवाड़ा